इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी 2012—फाल्गुन 2, शक 1933

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. एफ-04-01-2008-चौवन-1.—राज्य शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये मुख्यालय भोपाल स्तर पर 9 पदों एवं जिला स्तर पर 265 निम्नलिखित नवीन पदों के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है:—

अ—मुख्यालय स्तर पर—

क्र.	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान	विभाग की टीप
1.	संयुक्त संचालक	01	15600—39100+7600	वर्तमान में स्वीकृत उप संचालक के 01 पद को अपग्रेड करते हुए.
2.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	15600—39100+6600	वर्तमान में स्वीकृत लेखाधिकारी का 01 पद को अपग्रेड करते हुए.
3.	शीघ्रलेखक वर्ग-3	01	5200—20200+2800	नवीन पद
4.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	04	कलेक्टर दर पर	आऊट सोर्सिंग से.
5.	भृत्य	02	कलेक्टर दर पर	आऊट सोर्सिंग से.
	योग . .	09		

ब—जिला स्तर पर (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला कार्यालय हेतु):—

क्र.	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान	वित्त विभाग की टीप
1.	सहायक संचालक	50	15600—39100+5400	नवीन पद (प्रति जिला एक पद) प्रतिनियुक्ति पर भरा जावेगा.
2.	निरीक्षक	50	9300—34800+3600	नवीन पद (योजनाओं की निरीक्षण हेतु पद की आवश्यकता है) (प्रति जिला एक पद).
3.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	05	5200—20200+2800	केवल 05 नवीन जिलों के लिए. पूर्व में 45 जिलों में पद स्वीकृत हैं. (प्रति जिला एक पद).
4.	लेखापाल	50	5200—20200+2400	नवीन पद (प्रति जिला एक पद) किन्तु E-payment की व्यवस्था सुनिश्चित होने तक इन पदों को स्थगित रखा जाएगा.
5.	सहायक वर्ग-2	05	5200—20200+2400	केवल 05 नवीन जिलों के लिए. पूर्व में 45 जिलों में पद स्वीकृत हैं.
6.	सहायक वर्ग-3	05	5200—20200+1800	केवल 05 नवीन जिलों के लिए. पूर्व में 45 जिलों में पद स्वीकृत हैं.
7.	भृत्य/फर्रास कम चौकीदार	100	कलेक्टर दर पर	आऊट सोर्सिंग से (प्रति जिला 02 पद).
	योग . .	265		

2. उपरोक्त नवीन पदों के सृजन पर निम्नानुसार व्यय संभावित है:—

अ—मुख्यालय स्तर पर आवर्ती व्यय—	रुपये 10.71 लाख
वेतन भत्ते	रुपये 10.71 लाख
अनीवर्ती व्यय	निरंक
मुख्यालय योग:—	रुपये 10.71 लाख
ब—जिला स्तर पर—आवर्ती व्यय—	रुपये 1016.91 लाख
वेतन भत्ते, मजदूरी—	रुपये 938.91 लाख
कार्यालय व्यय—	78.00 लाख
अनावर्ती व्यय—	रुपये 60.35 लाख
(फर्नीचर व्यवस्था आदि व्यय)	रुपये 65.35 लाख
योग:—जिला स्तर पर	रुपये 1077.26 लाख
महायोग:—	रुपये 1087.97 लाख

3. उपरोक्त स्वीकृत पदों में से लेखापाल के 50 पद E-payment की व्यवस्था सुनिश्चित होने तक स्थगित रखे गये हैं.

4. सृजित होने वाले पदों पर संवर्ग नियंत्रण पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का रहेगा. विभाग द्वारा पृथक् से भर्ती नियम तैयार कर अनुमोदित कराये जायेंगे. विभाग के भर्ती नियम तैयार होने के पश्चात् ही निर्मित होने वाले नवीन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी भर्ती नियम लागू होने के पूर्व तक निर्मित होने वाले नवीन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अमले को लेकर व्यवस्था की जाएगी.

5. यह अनुमति मंत्रि-परिषद् आदेश दिनांक 31 जनवरी 2012 एवं वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक-597-आर.1067-बजट-6, दिनांक 24 दिसम्बर 2012 द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर जारी की गई है.

जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.